रजिस्ट्री सं० डी०—डी-73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 1980 (चैत्र 9, 1902)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 1980 (CHAITRA 9, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . 291

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 385

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . —

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 381

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . . —

भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . . —

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . 691

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . 871

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . 151

भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . 3385

भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 161

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं 29

भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 1197

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस 49

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	291
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	385
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	381
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	—
PART II.—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	691
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	871
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	151
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3385
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	161
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	29
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1197
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	49

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1980

सं० 28-प्रेज/80.—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी अति असाधारण विशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "परम विशिष्ट सेवा मैडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. लैफ्टिनेंट जनरल जितेन्द्र चन्द्र चटर्जी (एम० आर० 495) ए० एम० सी०।

2. वाइस एडमिरल विवियन ऐरिक चार्ल्स बार्बोजा, ए० वी० एस० एम० तथा बार (00033 जेड)।

3. एयर मार्शल चन्द्र कान्त श्रीधर नायक, ए० वी० एस० एम० वी० एस० एम० (3499) वै० ई० (यां०)।

4. एयर मार्शल लक्ष्मण माधव कात्रे, ए० वी० एस० एम० तथा बार (3117) उड़ान (पायलट)।

5. मेजर जनरल जगदर्शन सिंह मोर्ई (आई० सी० 1595) इंजीनियर्स।

6. मेजर जनरल नटराजन रामचन्द्रन (आई० सी० 3755) इन्फैन्ट्री

7. मेजर जनरल मोहन लाल (आई० सी० 2429) इन्फैन्ट्री।

8. मेजर जनरल गिरीश नारायण सिन्हा (आई० सी० 2781) इन्फैन्ट्री।

9. मेजर जनरल लछमण दास खुराना (एम० आर० 426) वी० एस० एम०, ए० एम० सी०।

10. मेजर जनरल हरि नारायण सिहल (आई० सी० 3210) ए० वी० एस० एम०, इन्फैन्ट्री, (सेवानिवृत्त)।

11. मेजर जनरल मुलामूत्तिल गीवारुगीज एब्राहम (आई० सी० 2103) ए० ओ० सी०, (सेवानिवृत्त)।

12. मेजर जनरल पृथ्वी राज (आई० सी० 4281) इन्फैन्ट्री (सेवा निवृत्ति)।

13. मेजर जनरल अनन्त विश्वनाथ नाटू (आई० सी० 4703) एम० वी० सी०, इन्फैन्ट्री, (सेवानिवृत्ति)।

14. एयर वाइस मार्शल कुप्पुस्वामियर चिन्दाम्बरम (3531 परिभारिकी (सेवानिवृत्ति)।

सं० 29-प्रेज/80.—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी असाधारण विशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "अति विशिष्ट सेवा मैडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. मेजर जनरल महेश चन्द्र रावत (आई० सी० 2292) सिगनल्स

2. रियर एडमिरल यशवन्त नारहर इनामदार (40017-वाई)।

3. ब्रिगेडियर सम्पूरन सिंह अहलूवालिया (आई० सी० 2333) इंजीनियर्स।

4. ब्रिगेडियर वेंकटारमनय्या नागभूषण (आई० सी०-4630) ई० एम० ई०।

5. ब्रिगेडियर सत्यवान सिंह ढिल्लों (आई० सी० 5115) इन्फैन्ट्री।

6. ब्रिगेडियर प्रेम नारायण कपूर (आई० सी० 6322) इंजीनियर्स।

7. ब्रिगेडियर नेसली हरबर्ट (आई० सी० 5131) सिगनल्स।

8. ब्रिगेडियर नरोत्तम सिंह गुरे (आई० सी० 6983) इन्फैन्ट्री।

9. ब्रिगेडियर विक्रम सिंह कंवर (आई० सी० 5973) इन्फैन्ट्री।

10. ब्रिगेडियर रामचन्द्र प्रभाकरन (आई० सी० 4050) ए० ओ० सी०।

11. ब्रिगेडियर कृष्णन कुमारन (आई० सी० 6128) इंजीनियर्स।

12. ब्रिगेडियर तेज सिंह (वी० 37) आर० वी० सी०।

13. ब्रिगेडियर करुणाकर भास्कर नायर (आई० सी० 10199) जे० ए० जी० विभाग (सेवानिवृत्त)।

14. ब्रिगेडियर रवीन्द्र गुप्त (आई० सी० 5344) ए० एम० सी०।

15. ब्रिगेडियर अमरजीत सिंह कलकट (आई० सी० 7347) वी० एस० एम०, इन्फैन्ट्री।

16. ब्रिगेडियर ओम प्रकाश चोपड़ा (आई० सी० 4626) ई० एम० ई० (सेवानिवृत्ति)।

17. ब्रिगेडियर श्रीधर शुक्ला (आई० सी० 4752) ए० एस० सी० (सेवानिवृत्ति)।

18. ब्रिगेडियर गुरिन्दर नाथ वर्मा (आई० सी० 2296) आर्मर्ड कोर, (सेवानिवृत्ति)।

19. ब्रिगेडियर कैलाश नाथ टकरू (आई० सी० 5442) आर्टिलरी, (सेवानिवृत्ति)।

20. ब्रिगेडियर देव प्रसाद घोष (एम० आर० 485) ए० एम० सी० (सेवा निवृत्त)।

21. ब्रिगेडियर पिल्ललमर्री वेंकटराममूर्ति (आई० सी० 5071) ई० एम० ई० (सेवानिवृत्ति)।

22. ब्रिगेडियर फ्रांसिस डी लेसी ओ लियरी (एम० आर० 572) ए० एम० सी०, (सेवानिवृत्त)।

23. कमोडोर प्रकाश सिंह लाम्बा (500013 आर०)।

24. कमोडोर रमेश चन्द (50009 एफ०) (सेवानिवृत्ति)।

25. कमोडोर वियालुर सीताराम अरुणाचलम (70004-जेड) (सेवा निवृत्ति)।

26. एयर कमोडोर एडविन पोटर (3667), लेखा।

27. एयर कमोडोर रिपु दमन गाङ्गुली (3867) उड़ान (पायलट)।

28. एयर कमोडोर कनकपल्ली वेंकटशेष सूर्यनारायण राव (4058) वै० ई० (इलै०)।

29. एयर कमोडोर भरत लाल वर्मा (4206) उड़ान (नेविगेटर)

30. कर्नल जगजीत सिंह (आई० सी० 6601) वी० एस० एम०, आर्टिलरी।

31. कर्नल सेखरीपुरम सहस्त्रानामन कृष्णामूर्ती (आई० सी० 6539) ई० एम० ई० (सेवानिवृत्ति)।

32. ग्रुप कैप्टेन जुगल किशोर कपूर, वी० एस० एम० (4044) वी० ई० (यां)।

33. ग्रुप कैप्टन कृष्ण नारायण पिल्ले (4874) उड़ान (पायलट)

34. ग्रुप कैप्टेन पालामटै मुत्तुस्वामी रामचन्द्रन, एस० सी०, वी० एम० (4973) उड़ान (पायलट)।

35. ग्रुप कैप्टेन त्रिलोचन सिंह वी० चक्र, वी० एम० (5043) उड़ान (पायलट)।

36. सर्जन कमांडर देवदत्त घोष (75056-एफ)।

37. मेजर (कुमारी) एलिज़ाबेथ एन्ड्रूज (ए० आर० 12381) एम० एन० एस० (सेवानिवृत्त)।

सं० 30-प्रेज/80.—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्ति की उसकी असाधारण विशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "अति विशिष्ट सेवा मैडल का बार" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. ब्रिगेडियर विद्याधर विष्णु धावले (आई० सी० 6246) ए० वी० एस० एम० (आर्टिलरी)।

सं० 31-प्रेज/80.—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी असाधारण विशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "विशिष्ट सेवा मैडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. ब्रिगेडियर ब्रिज मोहन सेठी (आई० सी० 7037) इंजीनियर्स।

2. कर्नल कृष्ण दास बेनर्जी (आई० सी० 4924) ए० एस० सी० (सेवानिवृत्त)।

3. कर्नल राजेन्द्र पाल अग्रवाल (आई० सी० 6770) ए० ओ० सी०

4. कर्नल मदन लाल मेहरा (आई० सी० 6178) ई० एम० ई०।

5. ग्रुप कैप्टेन रनबीर सिंह राणा (5106) उड़ान (पायलट)।

6. लैफ्टिनेन्ट कर्नल (स्थानीय कर्नल) हिम्मत सिंह गिल (आई० सी० 10445) आर्मर्ड कोर।

7. लैफ्टिनेंट कर्नल प्रेम सरन सत्संगी (आई० सी० 8640) ए० ई० सी०।

8. लैफ्टिनेंट कर्नल आनन्द सिंह (आई० सी० 7473) गढ़वाल राइफल्स।

9. लैफ्टिनेंट कर्नल अमरजीत सिंह (आई० सी० 7670) ई० एम० ई०।

10. लैफ्टिनेंट कर्नल अपूर्व दैत्यारि (एम० आर० 990) ए० एम० सी०।

11. लैफ्टिनेंट कर्नल वेलाचेरि जगदेसन सुन्दरम (आई० सी० 10586) ई० एम० ई०।

12. लैफ्टिनेंट कर्नल बद्री दास बंसल (आई० सी० 10551) बिहार।

13. लैफ्टिनेंट सन्तोख सिंह (आई० सी० 12862) सिख।

14. लैफ्टिनेंट कर्नल मदन गोपाल सिंह भल्ला (आई० सी० 13094), इंजीनियर्स।

15. लैफ्टिनेंट कर्नल देवी दयाल सिंह (आई० सी० 12710) सिख लाईट इन्फैन्ट्री।

16. लैफ्टिनेंट कर्नल गोविन्द बाबू गौतम (आई० सी० 12713) मराठा लाईट इन्फैन्ट्री।

17. लैफ्टिनेंट कर्नल हरजीत सिंह वडालिया (आई० सी० 11844) आर्टिलरी।

18. लैफ्टिनेंट कर्नल मधुकर वासुदेव कदम (आई० सी० 12448) महार।

19. लैफ्टिनेंट कर्नल हैरिक एलन रोशन (आई० सी० 12541) मद्रास।

20. लैफ्टिनेंट कर्नल मनजीत सिंह भुल्लर (आई० सी० 12524) सिख।

21. लैफ्टिनेंट कर्नल अमर सिंह भगवानराव पाटिल (आई० सी० 13388) जाक राइफल्स।

22. लैफ्टिनेंट कर्नल विजय ग्रोवेराय (आई० सी० 12522) मराठा लाईट इन्फैन्ट्री।

23. लैफ्टिनेंट कर्नल राजेन्द्र सिंह कादयान (आई० सी० 13153) राजपूताना राइफल्स।

24. लैफ्टिनेंट कर्नल वैलायुधन (एस० एल० 300) जनरल सर्विस (सेवानिवृत्त)।

25. कमांडर एडोल्फ ब्रिटो (40143 एच०) आई० एन

26. कमांडर ऐट आर्मस सुभाष कुमार मण्डल (00459 टी०) आई० एन०।

27. कमांडर देशबन्धु कपिला (50104 वाई०) आई० एन०।

28. विंग कमांडर विलम्पिल गोपाल (4520), वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)।

29. विंग कमांडर चित्रगुप्त मंगल (5511), प्रशासन।

30. विंग कमांडर विजेन्द्र कुमार सिंघल (5535), चिकित्सा।

31. विंग कमांडर मुहम्मद अब्दुल रहमान (5711), उड़ान (नेविगेटर)।

32. विंग कमांडर सुभाष चन्द्र मदान (5965), वैमानिक इंजीयनयरी (इलैक्ट्रानिक)।

33. मेजर अखिल मिश्र (एम० आर० 2096), ए० एम० सी०।

34. मेजर विजय कुमार सिंह (एम० आर० 2277) ए० एम० सी०।

35. मेजर जोरावर सिंह (टी० ए० 40619), टैरिटोरियल आर्मी।

36. कार्यकारी लैफ्टिनेंट कमांडर (एस० डी० जी०) कृष्ण लाल (88046 वाई०)।

37. स्कवाड्रन लीडर उमा शंकर मिश्र (6399) वैमानिक इंजीनियर (यांत्रिक)।

38. स्कवाड्रन लीडर पुत्तुमना देवीवासन मैनन (9133), वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिक)।

39. कैप्टेन जागीर सिंह ढिल्लों (एस० एल० 1712) ई० एम० ई०।

40. कैप्टेन रणबीर सिंह (आई० सी० 17155), मिलिटरी फार्मस।

41. कैप्टेन सुरेन्द्र कुमार सूद (आई० सी० 30417) पैराशूट रेजिमेंट।

42. कैप्टेन मंच कोलप राजन (आई० सी० 22956), ए० एस० सी०

43. कैप्टेन शमशेर सिंह (आई० सी० 17592) पैराशूट रेजिमेंट (सेवानिवृत्त)।

44. 27701 मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाईट लैफ्टिनेंट) टाम डेविड एयरक्राफ्ट हैन्ड/जनरल ड्यूटी (सेवानिवृत्त)।

45. जे० सी० 28510 सूबेदार मेजर रतवान सिंह, आर्टिलरी।

46. जे० सी० 43954 सूबेदार मेजर अनन्त राम, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर।

47. जे० सी० 13048 रिसालदार मेजर कुन्ज लाल, आर्मर्ड कोर (सेवानिवृत्त)।

48. मास्टर चीफ पैट्टी अफसर (फर्स्ट क्लास) नररंजन गांगुली (044883) एच०)।

49. 200315 मास्टर वारंट अफसर मदन सिंह रावत, फिटर-1।

50. 208592 वारंट अफसर पुत्तनपुरयल, चेरियन मैथ्यू, वैपन फिटर

51. 3369247 नायक हरजीत सिंह, सिख।

के० सी० माडप्पा, राष्ट्रपति के सचिव

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 फरवरी, 1980

सं० 12/8/79-के० से० II--कर्मचारी चयन आयोग, (गृह मंत्रालय) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ध' में अस्थाई रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 1979, के दौरान प्रत्येक दो महीने में एक बार एक महीने के द्वितीय शनिवार तथा रविवार और यदि आवश्यक हुआ तो उसके बाद पड़ने वाली छुट्टी/रविवार को ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम जन साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण सरकार द्वारा समय-समय पर किया जायेगा और कर्मचारी चयन आयोग को इस की सूचना आयोग द्वारा परीक्षाओं के परिणाम घोषित किया जाने से पहले दे दी जायगी। प्रत्येक परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या लगभग 50 होगी। भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित रिक्तियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति/जन जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :--

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 संविधान) अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950, विधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951, संविधान अनुसूचित जन जाति संघ राज्य क्षेत्र में आदेश, 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन बैंक अधिनियम, 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किए गए के अनुसार संविधान (जम्मू व काश्मीर अनुसूचित जाति आदेश 1956, संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश 1962 संविधान : (पांडिचेरी, अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति (उत्तर प्रदेश), 1967 अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव अनुसूचित जन जाति आदेश 1968 और संविधान (नागालैंड अनुसूचित जन जाति आदेश, 1970 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट I में निर्धारित ढंग से ली जायेगी। प्रदेश के प्रयोजन के लिए उन्हें अपने आवेदन-पत्र परिशिष्ट II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सादे कागज पर भेजने होंगे। इन आवेदन-पत्रों को संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा समुच्चय संवीक्षा के बाद परीक्षा लिए जाने वाले महीने के पूर्ववर्ती महीने की अधिक से अधिक 1 तारीख तक कर्मचारी चयन आयोग को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

4. नियमित रूप से नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई स्थाई या अस्थाई अवर श्रेणी /उच्च श्रेणी लिपिक इस परीक्षा में बैठने तथा उन रिक्तियों के लिये प्रतियोगिता करने का पात्र होगा।

(1) सेवा की अवधि --उसने केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी में एक जनवरी, 1979 की कम से कम दो वर्ष की अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा कर ली हो।

टिप्पणी 1 --यदि किसी उम्मीदवार को गिनने योग्य कुल सेवा अंशत: केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में हों तो दो वर्ष की अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा की सीमा लागू होगी।

टिप्पणी 2 --केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड या उच्च श्रेणी के वे अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नि:संवर्ग पदों में प्रतिनियुक्ति पर हैं यदि अन्यथा पात्र हों तो इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थानान्तरण पर किसी नि:संवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है और यदि उस अधिकारी का केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में फिलहाल कोई पूर्व ग्रहणाधिकार चलता जा रहा हो।

टिप्पणी 3 --अवर श्रेणी या उच्च श्रेणी ग्रेड में नियमित रूप में नियुक्त अधिकारी का अर्थ उस अधिकारी से है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 के आरम्भ में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा किसी संवर्ग में आबंटन हो या उसके पश्चात् उस सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च ग्रेड में दीर्घ कालीन आधार पर जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार नियुक्त हो।

(2) आयु-उसकी 1 जनवरी, 1979 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1929 से पहले नहीं होना चाहिए।

(5) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले प्रवर्जन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से संबंधित हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले) प्रवर्जन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष;

(4) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत लंका समझौतों के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्री लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(6) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया मलावी तथा इथोपिया से प्रवर्जित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(7) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रवर्जित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(8) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से संबंधित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रवर्जित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(9) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रव ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाही के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(10) किसी दूसरे देश में संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाही के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणाम स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जातियों से संबंधित हों, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(11) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान हमलों में विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम तीन वर्ष तक; और

(12) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान हमलों में विकलांग हुए तथा उनके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हों।

(13) यदि उम्मीदवार वियतनाम से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और जुलाई, 1975 से पहले भारत में प्रवासित हुआ न हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

6. परीक्षा में असफल होने वाला उम्मीदवार अगली परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा, परन्तु उससे अगली या उसके बाद की ही परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

7. ऐसे किसी उम्मीदवार की परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जिसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश प्रमाण पत्र न हो।

8. सामान्य उम्मीदवारों को 8-00 (केवल रु० 8.00) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को रु० 2.00 (केवल 2.00) की निर्धारित फीस पोस्टल आर्डरों या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा देनी होगी।

9. अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी साधन द्वारा समर्थन प्राप्त करने के प्रयास किए जाने से प्रवेश के लिए उसे अनर्हक किया जा सकेगा।

10. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिये दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया है कि उसने—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया है, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तत्व को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा भवन में प्रवेश पाने के लिये किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(8) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है अथवा

(9) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उसे परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन परीक्षा के लिये, तथा

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

11. परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को आयोग द्वारा एक सूची में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम के अनुसार रखा जायेगा और इसी क्रम में उतने उम्मीदवारों का, जितनों को आयोग द्वारा उत्तीर्ण समझा जायेगा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड "घ" के पदों में परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जायेगी।

लेकिन यह भी शर्त है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या न भरी गई हो तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य स्तर के अनुसार उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित कर देने पर उसे सेवा/पद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों पर नियुक्ति की जाने के लिये परीक्षा में उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान किये बिना ही उसकी सिफारिश कर दी जायेगी।

टिप्पणी:—उम्मीदवारों को यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक। परीक्षा के लिये परिणामों के आधार पर सेवा के ग्रेड "ख" में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निश्चित करने के लिये सरकार पूर्णता सक्षम है। अतः किसी भी उम्मीदवार का इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर, एक अधिकार के तौर पर, ग्रेड "घ" आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के लिये कोई दावा नहीं होगा।

12. अलग-अलग उम्मीदवारों के परीक्षा परिणामों की सूचना के स्वरूप तथा प्रकार के बारे में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णय किया जायेगा और आयोग उसके साथ परीक्षा फल के बारे में कोई पत्राचार नहीं करेगा।

13. परीक्षा में सफलता मात्र से ही चयन का तब तक कोई अधिकार नहीं मिलता जब तक कि सरकार द्वारा यथावश्यक जांच पड़ताल न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में अपने चरित्र की दृष्टि से चयन के लिये सब प्रकार से उपयुक्त है।

वह उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन करने के पश्चात् अथवा उसमें बैठने के पश्चात् अपने पद से त्यागपत्र दे देता है अथवा सेवा को अन्यथा छोड़ देता है /अथवा उसके साथ विच्छेद कर लेता है, उसके विभाग द्वारा उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाती है अथवा जो उम्मीदवार "स्थानान्तरण" पर किसी संवर्ग बाह्य पद अथवा किसी दूसरी सेवा में नियुक्त किया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में उसका पूर्व ग्रहणाधिकार नहीं होता है उस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

किन्तु यह उस उम्मीदवार पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।

ए० एल० राजेन्द्रन, अवर सचिव

परिशिष्ट-1

उम्मीदवारों को अंग्रेजी में या हिन्दी में 10 मिनट की एक श्रुतलेख की परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से देनी होगी। जो उम्मीदवार अंग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें 65 मिनट में लिप्यन्तर करना होगा और जो उम्मीदवार हिन्दी में परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें क्रमशः 75 मिनट में लिप्यन्तर करना होगा। आशुलिपि परीक्षा के लिये अधिकतम अंक 300 होंगे।

टिप्पणी:—जो उम्मीदवार आशुलिपि परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि और जो उम्मीदवार आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि सीखनी होगी।

2. उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि के नोटों का टाईपराइटर पर लिप्यान्तरण करना होगा और इस प्रयोजन के लिये उन्हें अपने साथ अपने टाईपराइटर लाने होंगे।

प्रपत्र

कर्मचारी चयन आयोग

ग्रेड 'घ' आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा

अन्तिम तारीख—परीक्षा के महीने ;
पहले महीने की 10 तारीख

यहां उम्मीदवार के पासपोर्ट साइज के फोटो की हस्ताक्षरित प्रति चिपकाई जाये। दूसरी हस्ताक्षरित फोटो की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिये।

(1) पोस्टल आर्डर्स/बैंक ड्राफ्ट का विवरण और मूल्य

(2) उम्मीदवार का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी (साफ अक्षरों में)

(3) सही जन्म तिथि (ईसवी सन् में)

(4) जिस कार्यालय में कार्य कर रहे हों उसका नाम तथा पता

(5) क्या आप

(i) अनुसूचित जाति,

(ii) अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं

उत्तर यदि "हां" अथवा "नहीं" दें।

(6) (i) पिता का नाम

(ii) पति का नाम (महिला उम्मीदवार के मामले में)

(7) जिस भाषा (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) में आप आशुलिपि परीक्षा देना चाहते हों, उसका नाम लिखें।

(8) क्या आप पिछली परीक्षा में बैठे थे, यदि हां तो अपना रोल नम्बर तथा परीक्षा का महीना लिखें।

(9) क्या आप केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड/उच्च श्रेणी ग्रेड के स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थाई अधिकारी है? और क्या आपने उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें परीक्षा होनी है संगत ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की अनुमोदित लगातार सेवा कर ली है।

(10) यदि आप सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा संवर्ग बाह्य पद पर स्थानान्तरण के आधार पर हैं तो क्या आप पूर्व पद पर अपना धारणाधिकार (लियन) रखेंगे।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

उस कार्यालय के विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाने के लिये जिसमें उम्मीदवार सेवा कर रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि:—

(1) आवेदन पत्र के कालमों में उम्मीदवार द्वारा की गई प्रविष्टियों को उसके सेवा रिकार्डों से जांच कर ली गई और वे सही हैं।

(2) उसके आवेदन पत्र की जांच कर ली गई है और प्रमाणित किया जाता है कि वह नियमों में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है तथा वह परीक्षा में बैठने के लिए सभी तरह से पात्र है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

विभाग/कार्यालय

संख्या------

तारीख-----------

टिप्पणी:— जो उम्मीदवार एक बार फेल हो जाता है वह केवल अगले तीन महीनों के बाद ही परीक्षा में बैठ सकता है अर्थात जो उम्मीदवार अप्रैल में ली जाने वाली परीक्षा में फेल हो जाये तो वह अगस्त अथवा उसके बाद होने वाली परीक्षा 2 बैठ सकता है।

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 1980

का० आ० एफ० टी०/ई० सी०/एच० आई०/80—200 मील की दूरी तक अन्य आर्थिक क्षेत्र के घोषित हो जाने से मछली पकड़ने के लिए अतिरिक्त क्षमता का विदोहन करने के उद्देश्य से सरकार ने गहरे समुद्र म मछली पकड़ने म लगे उद्योग के विकास के लिए अपेक्षित मत्स्य नौकाओं के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में निर्णय किया है। एक परिचालन ढांचे के माध्यम से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये उपाय निम्नलिखित हैं:—

1. आयातित मत्स्यनौकाओं की तुलना में लागत में अन्तर्निहित असुविधा को दूर करने की दृष्टि से स्वदेशी मत्स्यनौका निर्माण उद्योग को कस्टम प्रशुल्क में किसी प्रकार का संरक्षण न मिलने पर स्वदेशी मत्स्यनौका निर्माता को मत्स्यनौका की कीमत के 33% की समान दर से राज सहायता प्रदान की जाएगी। अतः स्वदेशी उद्योग इस आधार पर एक निश्चित कीमत बना सकता है। मूल्य अनुशासन के उपाय के रूप में स्वदेशी मत्स्यनौकाओं के लिए 10% तक मूल्यों में परिवर्तन करने की अनुमति देने का विचार है।

2. इन प्रयोजनों के लिए भारी उद्योग विभाग में एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा ट्रालर डेवलपमेंट सपोर्ट फंड (टी० डी० एस० एफ०) संचालित किया जायेगा।

3. उद्योग के विकास के मानीटरिंग के हित में मत्स्यनौका निर्माताओं को विशेष रूप से पंजीकृत/प्रमाणित किया जायेगा, जिसके लिए भारी उद्योग विभाग में मत्स्यनौकाओं के लिए अधिकार प्राप्त समिति के सचिवालय को आवेदन दिए जाने चाहिए। ऐसे यार्ड जिन्होंने अपेक्षित स्तरों की कार्यकुशलताओं और सुविधाओं का विकास कर लिया है, योजना के अन्तर्गत प्रमाणित किए जायेंगे और वे मत्स्यनौका विकास सहायता के पात्र होंगे।

4. छोटे तथा बड़े यार्डों की सम्पूरकताओं को अत्यधिक बड़ा बनाने के लिए मत्स्यनौका निर्माण उद्योग को एक "कन्सॉटियम" दृष्टिकोण के आधार पर संगठित किया जायगा। कन्सॉटियम को पश्चिमी तट पर मझगांव डाक लिमिटेड और पूर्वी तट पर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा चलाया जायेगा। डिजाइन दक्षता के विकास को बढ़ाने के लिए अपेक्षित मत्स्य ग्रहण प्रौद्योगिकियों के लिए ड्राइंगों और डिजाइनों के चयनात्मक आयात की अनुमति दी जायेगी।

5. डिजाइन, गुणवत्ता, डिलीवरी की तालिकाओं, कारीगरी और कार्य के रूप में स्वदेशी उद्योग की योग्यताओं के बारे में मत्स्यनौकाओं के भावी खरीददारों को पूर्णरूप से अवगत कराने के लिए मत्स्यनौका निर्माता कारगर विपणन कार्यक्रम शुरू करेंगे।

6. ग्राहकों को अपनी पसन्द के आयातित उपकरण प्राप्त करने की सुविधा देने की दृष्टि से स्वदेशी दृष्टिकोण से जांच किए बिना मत्स्यनौका की लागत के 20% मूल्य तक विनिर्दिष्ट सूची में से मत्स्यनौका निर्माताओं को हिस्से पुर्जों और उपकरणों के आयात की अनुमति दी जायेगी। इन उपकरणों और हिस्से पुर्जों की ऐसे यार्डों द्वारा भी बिना शुल्क के आयात की अनुमति दी जायेगी जिनके पास बन्धक गोदाम का प्रबंध नहीं है।

7. मत्स्यनौकाओं के आयात की अनुमति चयनात्मक आधार पर लागत, डिलीवरी और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर दी जायेगी ताकि स्वदेशी मत्स्यनौका निर्माण उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग के अनुरूप समुद्री मत्स्य-ग्रहण उद्योग का तेजी से विकास करने का सुनिश्चित हो सके। आयात की आवश्यकताओं का निर्धारण सचिवों की समिति द्वारा किया जायेगा यद्यपि आयात के अलग-अलग मामलों पर कृषि विभाग में फिशिंग वेसल्स एक्वजिशन कमेटी (एफ वी ए सी) द्वारा विचार किया जायेगा।

अधिकार प्राप्त समिति मत्स्यनौका निर्माण उद्योग की प्रगति और सहायक उद्योगों के विकास की समय-समय पर समीक्षा करेगी। मत्स्यनौकाओं पर लगाने के लिए आयात किए जाने वाले उपकरणों और हिस्से पुर्जों की सूची को यह समिति समय-समय पर संशोधित करेगी।

[सं० 16-11/76-एच०एम०-II]

हरी भूषण, संयुक्त सचिव, और
पदेन सलाहकार (तकनीकी)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110029, दिनांक 29 फरवरी 1980

संकल्प

विषय:—पर्यावरणीय प्रतिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधायी उपायों और प्रशासनिक तंत्र की सिफारिश करने के लिए समिति का संघटन

सं० 1/4/80-इन्वा०—23 जनवरी, 1980 को सातवीं संसद के पहले संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने पर्याप्त शक्तियों सहित विशेष तंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता की ओर संकेत किया ताकि पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के उपायों को योजनाबद्ध विकास में शामिल किया जा सके। इसे पर्यावरण के क्रमिक ह्रास के सन्दर्भ में ह्रास, जो कि देश और जनता के वर्तमान और भावी कल्याण के लिए खतरा है, उसकी ओर संकेत किया गया। इस बात पर बल दिया गया है कि वनरोपण, बाढ़-नियंत्रण, मृदा संरक्षण, वनस्पतिजात और प्राणिजात को परिरक्षण, उपयुक्त भू उपयोग योजना, जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण और उद्योगों के न्याय संगत स्थान निर्धारण की तत्काल आवश्यकता के आधार पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

2. राष्ट्रपति के अभिभाषण में अभीष्ट विशेषतन्त्र के लिए केन्द्रीय और राज्यों के स्तर पर पर्यावरण की प्रतिरक्षा के लिए मौजूदा कानूनों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और उपयुक्त सिफारिशें करने की आवश्यकता है।

3. उसके अनुसरण में, भारत सरकार ने एक सदर्थ समिति का गठन किया है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं:

(1)	उपाध्यक्ष योजना आयोग	अध्यक्ष
(2)	सचिव, कृषि मंत्रालय	सदस्य
(3)	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
(4)	श्री एम० कृष्णन, प्रकृति वैज्ञानिक और वन्य जीवन छविकार, मद्रास।	सदस्य
(5)	श्री ज़फर फतेहअली, डोडा गुब्बी पोस्ट, बंगलौर	सदस्य
(6)	श्री बी० बी० वोहरा, सचिव, पेट्रोलियम विभाग	सदस्य
(7)	श्री निलय चौधरी, अध्यक्ष, जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड, नई दिल्ली।	सदस्य
(8)	श्री अर्जन सिंह, 'टाइगर हैवन', डाकखाना पलिया, जिला खेड़ी, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(9)	प्रो० माधव गाडगिल, इंडियन इन्स्टीटयूट आफ साइंस, बंगलौर	सदस्य
(10)	डा० ए० के० गांगुली, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई	सदस्य

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

(क) केन्द्र और राज्य स्तरों पर पर्यावरणीय प्रतिरक्षा के विषय पर मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और पर्यावरणीय गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विधायी उपायों की सिफारिशें करना।

(ख) पर्यावरण की प्रतिरक्षा के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करना और पर्यावरणीय प्रतिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संशोधित प्रशासनिक तंत्र की सिफारिशें करना।

(ग) पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार और परिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार में उपयुक्त और पर्याप्त तंत्र की सिफारिश करना।

5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, समिति के कार्यक्रम और कार्य का समन्वय करेगा और इसे आवश्यक सचिवालय सहायता प्रदान करेगा समिति के संयोजक की नियुक्ति के बारे में अलग आदेश जारी किए जाएंगे और वह पूर्णकालिक आधार पर कार्य करेगा।

6. समिति आवश्यकतानुसार, देश के किसी भी भाग में विशेषज्ञों और लोगों से मिलने के लिए और आवश्यक सूचना और आंकड़े आदि प्राप्त करने के लिए बार बार बैठकों का आयोजन कर सकती है।

7. समिति के कार्य के सम्बन्ध में समिति के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा/दैनिक भत्तों का भुगतान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा।

8. समिति भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई, 1980 तक प्रस्तुत कर देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सम्बन्धित विभागों/संगठनों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की जन सामान्य की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम० जी० के० मेनन, सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 1980

संकल्प

सं० 14011/2/78-अर्थ नीति—कृषि मूल्य आयोग की स्थापना अर्थ-व्यवस्था की समूची आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए तथा उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों के हितों को समुचित महत्व देते हुए एक संतुलित एवं समेकित मूल्य प्रणाली के विकास हेतु कृषि जिन्सों की मूल्य नीति के संबंध में परामर्श देने के उद्देश्य से जनवरी, 1965 में की गई थी। गत वर्षों में आयोग ने कृषि जिन्सों की एक स्थाई और उपयुक्त मूल्य नीति विकसित करने में मदद की है।

आयोग की स्थापना होने के बाद कृषि की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र और सस्य गहनता में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। उर्वरकों और कीटनाशियों की खपत में वृद्धि हुई है। संस्थागत और अन्य स्रोतों के माध्यम से कृषि का निवेश बढ़ गया है। कृषि और ग्राम विकास को उच्च प्राथमिकता देने के लिए नीति संबंधी अनेक निर्णय लिए गए हैं।

इन कदमों के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में स्थायित्व का एक उपयुक्त स्तर प्राप्त हुआ है और कृषि क्षेत्र की मण्डी उन्मुखता में वृद्धि होने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि कृषि मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधन और विस्तार किया जाए।

आयोग के विचारार्थ विषय निम्न होंगे :—

1. धान, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, चना, तूर, मूंग, उड़द, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, लोबिया, सरसों, कपास, पटसन, तम्बाकू, और सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य जिन्सों की मूल्य नीति के बारे में सलाह देना जिससे कि अर्थव्यवस्था की समूची आवश्यकताओं की भावी रूपरेखाओं में व उत्पादक एवं उपभोक्ता के हितों के बारे में संतुलित तथा समेकित मूल्य संरचना का विकास किया जा सके।

2. मूल्य नीति तथा संबंधित मूल्य संरचना के बारे में सिफारिश करते समय आयोग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा :—

(1) राष्ट्रीय आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने व उत्पादन की एक पद्धति विकसित करने हेतु उत्पादक को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता;

(2) भूमि जल और उत्पादन के अन्य संसाधनों के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता;

(3) शोध अर्थ-व्यवस्था और विशेषकर रहन-सहन की लागत तथा मजदूरी औद्योगिक लागत की संरचना, आदि के बारे में मूल्य नीति का सम्भावित प्रभाव।

3. आयोग मूल्य से संबंध न रखने वाले ऐसे उपायों के बारे में सुझाव दे सकता है, जिससे उपर्युक्त 1 में दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में सुविधा हो।

4. मूल्य नीति को कारगर बनाने के लिये विभिन्न जिन्सों के बारे में समय-समय पर आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।

5. कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के उत्पादों के व्यापार के बीच होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखना।

6. आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में कृषि जिन्सों की प्रचलित पद्धतियों एवं विपणन की लागत की जांच करना, विपणन की लागतों को कम करने के लिए सुझाव देना तथा विपणन के विभिन्न स्तरों के लिए उचित मूल्य की सीमा के विषय में सिफारिश करना।

7. विकासात्मक मूल्य स्थिति की जांच पड़ताल करते रहना तथा आवश्यकता पड़ने पर समूची मूल्य नीति के कार्यक्षेत्र में उचित सिफारिशें करना।

8. सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों के अनुसार विभिन्न फसलों के बारे में अध्ययन करना;

9. मूल्य नीति और कृषि मूल्यों के बारे में जानकारी तथा अन्य संबंधित आंकड़े एकत्रित करने की व्यवस्थाओं से संबंधित अध्ययनों की जांच पड़ताल करते रहना तथा उनमें सुधार लाने के बारे में सुझाव देना और मूल्य नीति के क्षेत्र में अनुसन्धानात्मक अध्ययनों की व्यवस्था करना।

10. सरकार द्वारा समय-समय पर कृषि मूल्यों तथा उत्पादन के संबंध में बतायी जाने वाली समस्याओं के बारे में सलाह देना।

आयोग मूल्यों और उत्पादन को प्रभावित करने वाले मामलों से संबंधित अन्य एजेन्सियों, जिसमें भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम और भारती पटसन निगम भी शामिल है, से निकट सम्पर्क बनाए रखेगा।

आयोग अपनी कार्यविधि स्वयं निर्धारित करेगा। वह अपने कार्य के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायों से टिप्पणियां, आंकड़े, अध्ययनों के परिणाम, के आंकड़े एवं इसके कार्य से सम्बद्ध अन्य संबंधित सामग्री मंगाने व उनके साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

आयोग विभिन्न जिन्सों, अथवा उनके समूहों के बारे में, आवश्यकता पड़ने पर, सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, योजना आयोग, संस्थिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय

लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक तथा कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

एम० एस० स्वामीनाथन, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 1980

सं० 8-3/73-एफ० वाई० (टी०-I)--कृषि और सिंचाई मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग की संकल्प संख्या 26011/1/77-एफ० वाई० (टी०-I)) तारीख 24 जुलाई 1978 के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री जी० एस० विश्वनाथन, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली को मत्स्यपालन सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय मत्स्यपालन बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित करते हैं।

केन्द्रीय मत्स्यपालन बोर्ड में उनकी नियुक्ति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए होगी।

आर० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव

ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 1980

सं० 19(5) 77-वि० का०-दो, संकल्प/परि-तीन --सोन नदी पर बाणसागर परियोजना के बारे में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच सितम्बर, 1973 में हुए समझौते में यह निश्चय किया गया था कि, चूंकि सोन नदी और उसकी सहायक नदियों के जल-वैज्ञानिक पहलुओं की अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए भारत सरकार सोन नदी के अध्ययन के लिए एक विशेष नदी आयोग की स्थापना करे और जल के उपयोग में राज्यों द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले पुनः समायोजनों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के लिए एक व्यापक योजना तैयार करे। राज्यों के बीच आपसी विचार-विमर्श और सहमति के बाद इन अध्ययनों के आधार पर इस क्षेत्र के लिए सिंचाई और अन्य लाभों के लिए अग्रेतर योजना बनाने का काम हाथ में लिया जाएगा। तदनुसार, भारत सरकार ने बिहार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ परामर्श करके सोन नदी आयोग की स्थापना करने का निश्चय किया है, जिसका गठन इस प्रकार होगा :--

1. अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड, कृषि विभाग अथवा उनके द्वारा नामजद व्यक्ति	सदस्य
3 बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
4. मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय बाढ़ पूर्वसूचना संगठन, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
5. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6. भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि	सदस्य
8. कृषि अर्थशास्त्री	सदस्य
9. मुख्य इंजीनियर, सोन नदी आयोग	सदस्य-सचिव

सदस्य-सचिव को छोड़कर जोकि पूर्णकालिक होंगे, अध्यक्ष और अन्य सभी सदस्य अंशकालिक आधार पर कार्य करेंगे।

आयोग का मुख्यालय पटना, बिहार में होगा और इसकी बैठकें एक वर्ष में कम से कम दो बार होंगी। आयोग के विचार-विमर्श के दौरान यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष किसी विशेषज्ञ/विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकता है।

4. आयोग के कार्य निम्नलिखित होंगे :--

(1) विभिन्न स्थलों पर विविध निर्भरताओं (डिपेंडिबिलिटीज) के आधार पर जल की प्राप्ति का अनुमान लगाने सहित सोन नदी और उसकी सहायक नदियों के जल-विज्ञान और जल-मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण करना।

(2) कृषि-शास्त्र, भू-विज्ञान संबंधी और सामाजिक आर्थिक पहलुओं से संबंधित आंकड़ों सहित तीनों राज्यों में सोन नदी के जल के वर्तमान उपयोग संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करना और उनका संकलन करना।

(3) भावी जल विकास के बारे में राज्य सरकारों द्वारा किए गए अध्ययनों सहित निर्माणाधीन, विचाराधीन और अन्वेषणाधीन परियोजनाओं के बारे में आंकड़े एकत्रित करना और उनका संकलन करना।

(4) जल और भू-संसाधनों के विकास के लिए बेसिन योजना और क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के लिए आवश्यक पूरक अन्वेषण और अध्ययन करना और ऐसा करते समय राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त आंकड़ों और अध्ययनों के आधार पर दिए गए वैकल्पिक प्रस्तावों पर उपयुक्त ध्यान देना।

(5) गंगा नदी के जल को लिफ्ट करके उसके सम्भाव्य उपयोग को ध्यान में रखते हुए सिंचाई और अन्य बहुद्देश्यीय उपयोगों के लिए सोन नदी के जल के इष्टतम उपयोग के लिए एक व्यापक बेसिन-योजना और क्षेत्रीय योजना तैयार करना और प्रस्तुत करना।

5. आयोग को अपने उक्त कार्यों का वहन करने में आवश्यक स्टाफ द्वारा सहायता दी जाएगी। आयोग अपनी कार्रवाइयों के बारे में सिंचाई विभाग को प्रत्येक तिमाही में एक बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग अपना काम 7 वर्षों की अवधि में पूरा करेगा।

6. आयोग पर होने वाला खर्च भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के पास सूचनार्थ भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से इसे राज्य के राजपत्रों में आम सूचना के लिए प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाए।

सी० सी० पटेल, सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1980

No. 28-Pres./80.—The President is pleased to approve of the award of "Param Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order :—

1. Lt. Gen. Jitendra Chandra Chatterji (MR 495), AMC
2. Vice Admiral Vivian Eric Charles Barboza, AVSM and *Bar* (00033Z)
3. Air Marshal Chandrakant Shridhar Naik, AVSM, VSM (3499) AE (M)
4. Air Marshal Lakshman Madhav Katre, AVSM and *Bar* (3117) F(P)
5. Maj. Gen. Jagdarshan Singh Soin (IC 1595), Engineers
6. Maj. Gen. Natarajan Ramachandran (IC 3755), Infantry
7. Maj. Gen. Mohan Lal (IC 2429), Infantry
8. Maj. Gen. Girish Narayan Sinha (IC 2781), Infantry
9. Maj. Gen. Lachman Das Khurana (MR 426), VSM, AMC
10. Maj. Gen. Hari Narayan Shingal (IC 3210), AVSM, Infantry (Retd.)
11. Maj. Gen. Mulamoottil Geevarughese Abraham (IC 2103), AOC (Retd.)
12. Maj. Gen. Prithvi Raj (IC 4281), Infantry, (Retd.)
13. Maj. Gen. Anant Vishwanath Natu (IC 4703), MVC, Infantry (Retd.)
14. Air Vice Marshal Kuppuswamier Chidambaram (3531), Logistics (Retd.)

No. 29-Pres./80.—The President is pleased to approve of the award of the "Ati Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order :—

1. Maj. Gen. Mahesh Chandra Rawat (IC 2292), Signals
2. Rear Admiral Yashwant Narahar Inamdar (40017-Y)
3. Brig. Sampuran Singh Ahluwalia (IC 2333), Engineers.
4. Brig. Venkataramaniah Nagabhushan (IC 4630), EME
5. Brig. Satyawan Singh Dhillon (IC 5115), Infantry
6. Brig. Prem Narain Kapoor (IC 6322), Engineers
7. Brig. Leslie Herbert (IC 5131), Signals
8. Brig. Narottam Singh Surrey (IC 6983), Infantry
9. Brig. Bikram Singh Kanwar (IC 5973), Infantry
10. Brig. Ramachandar Prabhakaran (IC 4050), AOC
11. Brig. Krishnan Kumaran (IC 6128), Engineers
12. Brig. Tej Singh (V 37), RVC
13. Brig. Karunakar Bhaskar Nayar (IC 10199), JAG's Department (Retd.)
14. Brig. Ravindra Gupta (IC 5344), ASC
15. Brig. Amarjit Singh Kalkat (IC 7347), VSM, Infantry
16. Brig. Om Prakash Chopra (IC 4626), EME (Retd.)
17. Brig. Shridhar Shukla (IC 4752) ASC, (Retd.)
18. Brig. Surandar Nath Verma (IC 2296), Armoured Corps (Retd.)
19. Brig. Kailas Nath Takru (IC 5442), Artillery (Retd.)
20. Brig. Deva Prasad Ghosh (MR 485), AMC, (Retd.)
21. Brig. Pillalamarri Venkata Ramamurthy (IC 5071), EME, (Retd.)
22. Brig. Francis D'Lacy O'Leary (MR 572), AMC (Retd.)
23. Commodore Prakash Singh Lamba (50013 R)
24. Commodore Ramesh Chandra (50009 F) (Retd.)
25. Commodore Viyalur Sitaram Arunachalam (70004-Z), (Retd.)
26. Air Commodore Edwin Peter (3667), Accounts
27. Air Commodore Ripu Daman Sahni (3867), F(P)
28. Air Commodore Canakapalli Venkata Sesha Suryanarayana Row (4058), AE(L)
29. Air Commodore Bharat Lal Verma (4206), Flying (Navigator)
30. Col. Jagjit Singh (IC 6601), VSM, Artillery.
31. Col. Sekharipuram Sahasranaman Krishnamoorthy (IC 6539), EME, (Retd.)
32. Gp. Capt. Jugal Kishore Kapur, VSM (4044), AE (M)
33. Gp. Capt. Krishna Narayana Pillai (4874), F(P)
34. Gp. Capt. Palamadai Muthuswamy Ramachandran, SC, VM, (4973), F(P)
35. Gp. Capt. Trilochan Singh, Vr. C., VM (5043), F(P)
36. Surgeon Commander Debdatia Ghosh (75056-F)
37. Maj. (Miss) Elizabeth Andrews (NR 12381), MNS, (Retd.)

No. 30-Pres./80.—The President is pleased to approve of the award of "*Bar* to Ati Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order :—

1. Brig. Vidyadhar Vishnu Dhavale (IC 6246), AVSM, Artillery

No. 31-Pres./80.—The President is pleased to approve of the award of "Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order :—

1. Brig. Brij Mohan Seth (IC 7037), Engineers
2. Col. Krishana Das Banerjee (IC 4924), ASC (Retd.)
3. Col. Rajender Pal Agarwal (IC 6770), AOC
4. Col. Madan Lal Mehra (IC 6178), EME
5. Gp. Capt. Ranbir Singh Rana (5106), F(P)
6. Lt. Col. (Local Col.) Himmat Singh Gill (IC 10445), Armoured Corps
7. Lt. Col. Prem Saran Satsangi (IC 8640), Army Education Corps
8. Lt. Col. Anand Singh (IC 7473), Garhwal Rifles
9. Lt. Col. Amarjit Singh (IC 7670), EME
10. Lt. Col. Apurba Daityari (MR 990), AMC
11. Lt. Col. Velacheri Jagadesan Sundaram (IC 10586), EME
12. Lt. Col. Badri Dass Bansal (IC 10551), Bihar
13. Lt. Col. Santokh Singh (IC 12862), Sikh
14. Lt. Col. Madan Gopal Singh Bhalla (IC 13094), Engineers
15. Lt. Col. Devi Dial Singh (IC 12710), Sikh Light Infantry
16. Lt. Col. Govind Vahu Gautam (IC 12713), Maratha Light Infantry
17. Lt. Col. Harjit Singh Wadalia (IC 11844), Artillery
18. Lt. Col. Madhukar Vasudev Kadam (IC 12448), Mahar
19. Lt. Col. Herrick Allen Roshan (IC 12541), Madras
20. Lt. Col. Manjit Singh Bhullar (IC 12524), Sikh
21. Lt. Col. Amar Singh Bhagwanrao Patil (IC 13388), JAK Rifles
22. Lt. Col. Vijay Oberoi (IC 12522), Maratha Light Infantry

23. Lt. Col. Rajendra Singh Kadyan (IC 13153), Rajputana Rifles
24. Lt. Col. Velayudhan (SL 300), General Service (Retd.)
25. Cdr. Adolph Britto (40143-H), I.N.
26. Cdr. At Arms—Subhash Kumar Mandal (00459-T), I.N.
27. Cdr. Deshbandhu Kapila (50104-Y), I.N.
28. Wg. Cdr. Vilampil Gopal (4520), AE (M)
29. Wg. Cdr. Chitra Gupta Mangal (5511), Administrative
30. Wg. Cdr. Vijendra Kumar Singhal (5535), Medical
31. Wg. Cdr. Muhamed Abdul Rehman (5711), Flying (Navigator)
32. Wg. Cdr. Subhash Chander Madan (5965), AE(L)
33. Maj. Akhil Misra (MR 2096), AMC
34. Maj. Vijay Kumar Singh (MR 2277), AMC
35. Maj. Zorawar Singh (TA 40619), Territorial Army
36. Actg. Lt. Cdr. (SDG) Krishan Lal Verma (88046-Y)
37. Sqn. Ldr. Uma Shanker Mishra (5399), AE(M)
38. Sqn. Ldr. Puthumana Devidasan Menon (9133), AE(L)
39. Capt. Jagir Singh Dhillon (SL 1712), EME
40. Capt. Ranvir Singh (IC 17155), Military Farms
41. Capt. Surender Kumar Sood (IC 30417), Para Regiment
42. Capt. Makkolath Rajan (IC 22956), ASC
43. Cap. Shamsher Singh (IC 17592), Para Regiment (Retd.)
44. 27701 MWO (Honorary Flight Lieutenant) Tom David, Aircraft Hand/General Duty (Retd.)
45. JC 28510 Sub. Maj. Ratwan Singh, Artillery
46. JC 43954 Sub. Maj. Anant Ram, Army Physical Training Corps
47. JC 13048 Risaldar Major Kunj Lal, Armoured Corps (Retd.)
48. MCPO (1st Class) Naranranjan Ganguly (044883H)
49. 200315 MWO Madan Singh Rawat, Fitter-I
50. 208592 WO Puthenpurayl Cheriyan Mathew, Weapon/Fitter
51. 3369247 Naik Harjit Singh, Sikh.

K. C. MADAPPA, Secy. to the President.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

New Delhi, the 29th February 1980

RULES

No. 12ffl8ffl79-CS.II.—The rules competitive examinations to be held by the Staff Selection Commission (Ministry of Home Affairs) Department of Personnel and Administrative Reforms) New Delhi, once every two months during the year 1980, on Second Saturday and Sunday and, if necessary, on the holiday/Sunday following thereafter, for the purpose of filling temporary vacancies in Grade D of the Central Secretariat Stenographer's Service are published for general information.

2. The number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service to be filled on the result of the examination will be determined by Government from time to time and intimated to the Staff Selection Commission before the results of the examinations are announced by the Commission. The approximate number for each examination will be 50. Reservations will be made for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order 1951; as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order; 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968; the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order 1968; the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 and Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission, in the manner prescribed in the Appendix I to these Rules. For the purpose of admission they will be required to submit applications, on plain paper as in the form given in Appendix II, which shall, after due scrutiny will be forwarded by the Ministry/Department/Office concerned to the Staff Selection commission latest by the 1st of the month preceding the month in which the examination is to be held.

4. Any permanent or temporary regularly appointed LDC/UDC of the Central Secretariat Clerical Service shall be eligible to appear at the examination and compete for the vacancies.

(1) *Length of Service* : He should have, on the 1st January, 1980 rendered not less than two years approved and continuous service in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE 1 : The limit of two years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE 2 : Officers of the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer if he continues to have a lien in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service for the time being.

NOTE 3 : Regularly appointed officers to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade means an officer allotted to any of the cadres of the Central Secretariat Clerical Service at the commencement of the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 or appointed thereafter on a long-term basis to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Service as the case may be, according to the prescribed procedure.

(2) *Age* : He should not be more than 50 years of age on the 1st January, 1980, i.e. he must have not been born earlier than 2nd January, 1930.

5. The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced persons from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribes and is also a *bona fide* displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before 25th March, 1971);

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyka and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) upto a maximum three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of three years in the case of Defence Service personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(x) upto a maximum of eight years in the case of Defence Service personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes;

(xi) upto a maximum of three years in the case of Border Security personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes;

(xiii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Vietnam, and has migrated to India, not earlier than July, '75.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate who fails in the examination will not be eligible to take the next examination but only that following the next examination or subsequent examination.

7. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

8. Candidates must pay the fee prescribed of Rs. 8/- (Rupees eight only) for general candidates and Rs. 2/- (Rupees two only) for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates either by postal orders or bank draft.

9. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

10. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) Misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

11. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in one list, in the order or merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination in the Central Secretariat Stenographers' Service Grade 'D'.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Staff Selection Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of those candidates for selection to the service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE : Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be appointed to Grade D of the Service on the results of the examination is entirely with the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for appointment as a Stenographer Grade D on the basis of his performance in this examination as a matter of right.

12. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their descretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

13. Success in the examination confers no right to selection unless the Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

A candidate who, after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien on Central Secretariat Clerical Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a candidate who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

A. L. RAJENDRAN, Under Secy.

APPENDIX I

Candidates will be given one dictation test in English or in Hindi at 80 words per minute for 10 minutes. The candidates who opt to take the test in English will be required to transcribe the matter in 65 minutes and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter in 75 minutes respectively. The shorthand tests will carry a maximum of 300 marks.

NOTE : Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be required to learn English Stenography and *vice versa* after their appointment.

2. Candidates will be required to transcribed their shorthand notes on typewriters and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

APPENDIX—II

PROFORMA

STAFF SELECTION COMMISSION

GRADE D STENOGRAPHERS COMPETITIVE EXAMINATION

Closing Date : 10th of the month previous to the month of the Examination

Signed passport size photograph of the candidate to be pasted here. Another signed photograph should be firmly attached to the application.

(1) Particulars of Postal Orders/Bank Draft and the value. . . _____

(2) Name of the candidate . . . . . Shri/Smt./Kumari _____
(In capital letters)

(3) Exact date of birth (in Christian Era) . . . . . _____

(4) Name and address of office where working . . . . . _____

(5) Are you a member of

(i) Scheduled Castes . . . . . _____

(ii) Scheduled Tribes . . . . . _____

Answer 'Yes or 'No'

(6) (i) Father's name . . . . . _____

(ii) Husband's name (in case of lady candidate). . . . _____

(7) State the language (Hindi or English) in which you wish to take the shorthand test. . . . . _____

(8) Whether appeared in the previous Examination, if so, indicate the Month and Roll. No. . . . . _____

(9) Are you a permanent or temporary regularly appointed officer of the lower Division Grade Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service and have rendered not less than two years' approved and continuous Service in the relevant grade on the 1st January of the year in which the Examination is held. . . . . _____

(10) In case you are on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or the ex-cadre post is on transfer basis, state whether you continued to hold a lien on the previous posts. . . . . _____

_____
Signature of candidate.

TO BE FILLED BY THE HEAD OF DEPARTMENT OF THE OFFICE WHERE THE CANDIDATE IS SERVING:

Certified that :

(i) the entries made by the candidate in columns of the application have been verified with reference to his/her service records and are correct.

(ii) this application has been scrutinised and it is certified that he fulfills all the conditions laid down in the rules and is eligible in all respects to appear at the examination.

Signature _____

Name _____

Designation _____

Deptt./Office _____

No. _____

Date _____

NOTE : A candidate who once fails can take the examination only after another three months, i.e. a candidate who fails in the examination to be held in April, can take the examination to be held in August or subsequently.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 25th February 1980

S.O. FT/FC/HI/80.—In order to exploit the additional potential for fishing with the declaration of the Exclusive Economic Zone to a distance of 200 miles, the Government have decided on measures for promoting indigenous manufacture of fishing trawlers required for the development of deep sea fishing industry. These measures for achieving the desired objectives through an operational framework are as under :—

(1) In the absence of any customs tariff protection to the indigenous trawler building industry, with a view to removing the inherent cost disadvantage vis-a-vis imported trawlers, a subsidy at a flat rate of 33% of the price of trawler will be provided to the indigenous trawler manufacturer. The indigenous industry can, therefore, quote a firm price on this basis. As a measure of price discipline, it is contemplated to permit a price differential limited to 10% for indigenous trawlers.

(2) A Trawler Development Support Fund (TDSF) would be operated for these purposes by an Empowered Committee in the Department of Heavy Industry.

(3) In the interests of monitoring the development of the industry, the trawler builders would be specially registered/certified for which applications should be made to the Secty. of the Empowered Committee for Trawlers in the Department of Heavy Industry. Such yards which have generated the requisite levels of skills and facilities would be certified under the scheme and would be eligible for the trawler development support.

(4) The trawler building industry would be organised on the basis of a 'consortium' approach for maximising the complementarities of small and large yards. The consortium on the West Coast would be led by the Mazagon Docks Ltd., and in the East Coast by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd. To further the development, of design competence, selective imports of drawings and designs for required fishing technologies would be allowed.

(5) The trawler builders would undertake an effective marketing programme to make the prospective trawler buyers fully aware of the capabilities of the indigenous industry in terms of design, quality, delivery schedules, workmanship and performance.

(6) With a view to giving the Customers the flexibility to have imported equipment of their choice, imports of components and equipment would be permitted to the trawler builders without indigenous angle scrutiny upto a value of 20% of the cost of the trawler from a specified list. These components and equipments would be permitted duty free import by such yards also who do not have bonded warehousing arrangements.

(7) The import of trawlers would be permitted on a selective basis on considerations of cost, delivery and special needs so as to ensure rapid development of the marine fishing industry consistent with the utilisation of facilities available in the indigenous trawler building industry. The import requirements would be determined by a Committee of Secretaries while the individual cases of import would be considered by the Fishing Vessels Acquisition Committee (FVAC) in the Deptt. of Agriculture.

The Empowered Committee will review from time to time, the progress of the trawler building industry and the development of ancillaries. It will periodically modify the list of equipments and components to be imported for fitment of trawlers.

[No. 16-11/76-HM II]

HARI BHUSHAN, Jt. Secy. *ex-officio* Adviser (Technical)

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi-110029, the 29th February 1980

RESOLUTION

Subject : *Constitution of a Committee for recommending legislative measures and administrative machinery for ensuring environmental protection.*

No. 1/4/80-Env.—1. In his Address to the first Joint Session of the Seventh Parliament on 23rd January, 1980, the President of India referred to the need for setting up a specialised machinery, with adequate powers, to incorporate in all planned development, measures to maintain ecological balance. This has been referred to in the context of the steady deterioration of the environment, which threatens the present and future well-being of the country and the people. It has been stressed that afforestation, flood control, soil conservation, preservation of flora and fauna, proper land use planning, water and air pollution controls and judicious location of industries must be undertaken urgently.

2. The specialised machinery implied in the President's Address calls for the review of the existing laws and administrative arrangements for the protection of the environment at the Central and the State levels and making appropriate recommendations.

3. In pursuance thereof, the Government of India have constituted an ad hoc Committee with the following composition :

CHAIRMAN

(1) Deputy Chairman,
Planning Commission

MEMBERS

(2) Secretary,
Ministry of Agriculture

(3) Secretary,
Department of Science & Technology

(4) Shri M. Krishnan,
Naturalist & Wild Life Photographer,
Madras

(5) Shri Zafar Futehally,
Dodda Gubbi Post, Bangalore

(6) Shri B. B. Vohra
Secretary,
Department of Petroleum

(7) Dr. Nilay Chaudhuri,
Chairman,
Central Board for the Prevention & Control of Water Pollution,
New Delhi

(8) Shri Arjan Singh, 'Tiger Haven',
P.O. Pallaia, Dist. Kheri U.P.

(9) Prof. Madhav Gadgil,
Indian Institute of Science,
Bangalore

(10) Dr. A. K. Gangulv,
Bhabha Atomic Research Centre,
Bombay.

4. The terms of reference of the Committee will be as follows :

(a) To review the existing laws on the subject of environmental protection at the Central and State levels and recommend legislative measures required for ensuring environmental quality.

(b) To review the existing administrative arrangements for the protection of the environment and to recommend improved administrative machinery for ensuring environmental protection.

(c) To recommend appropriate and adequate machinery in Government both at the Central and the State levels for improving environmental quality and to maintain ecological balance.

5. The Department of Science & Technology will coordinate the programme and work of the Committee and provide necessary secretarial assistance. Separate orders will be issued regarding the appointment of a Convenor of the Committee, who will work on a full-time basis.

6. The Committee may hold meetings as frequently as required in any part of the country, to meet experts and people, to obtain necessary information and data, etc.

7. The TA/DA for non-official members of the Committee in connection with the work of the Committee will be borne by the Department of Science & Technology.

8. The Committee will submit its report to the Government of India by the 31st July, 1980.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Members of the Committee, Departments/Organisations concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. G. K. MENON, Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 5th March 1980

RESOLUTION

No. 14011/2/78-Econ.Py.—The Agricultural Prices Comission was set up in January 1965 to advise on the price policy of agricultural commodities with a view to evolving a balanced and integrated price structure in the perspective of the overall needs of the economy and with due regard to the interests of the producer and the consumer. Over the years, the Commission has helped in the evolution of a stable and positive price policy for agricultural commodities.

The agricultural situation has considerably changed since the setting up of the Commission. The area under irrigation and intensity of cropping are going up steadily. Consumption of fertilizers and pesticides has increased. Investment in Agriculture through institutional and other sources has risen. A number of policy decisions have been taken to give high priority to Agriculture and Rural Development.

Agricultural production has as a result of these steps achieved a reasonable degree of stability and a process of increasing market orientation of the agricultural sector has set in. It is hence considered necessary to modify and expand the terms of reference of the Agricultural Prices Commission.

The terms of reference of the Commission would be as under :—

1. To advise on the price policy of paddy, rice, wheat, jowar, bajra, maize, ragi, barley, gram, tur, moong, urad, sugarcane, groundnut, soyabean, sunflowerseed, rapeseed and mustard, cotton, jute, tobacco and such other commodities as the Government may indicate from time to time with a view to evolving a balanced and integrated price structure in the perspective of the overall needs of the economy and with due regard to the interests of the producer and the consumer.

2. While recommending the price policy and the relative price structure, the Commission may keep in view the following :

(i) The need to provide incentive to the producer for adopting improved technology and for developing a production pattern broadly in the light of national requirements;

(ii) The need to ensure rational utilisation of land, water and other production resources;

(iii) The likely effect of the price policy on the rest of the economy, particularly on the cost of living, level of wages, industrial cost structure, etc.

3. The Commission may also suggest such non-price measures as would facilitate the achievement of the objectives set out in 1 above.

4. To recommend from time to time, in respect of different agricultural commodities, measures necessary to make the price policy effective.

5. To take into account the changes in terms of trade between agricultural and non-agricultural sectors.

6. To examine, where necessary, the prevailing methods and cost of marketing of agricultural commodities in different regions, suggest measures to reduce costs of marketing and recommend fair price margins for different stages of marketing.

7. To keep under review the developing price situation and to make appropriate recommendations, as and when necessary, within the framework of the overall price policy.

8. To undertake studies in respect of different crops as may be prescribed by Government from time to time.

9. To keep under review studies relating to the price policy and arrangements for collection of information regarding agricultural prices and other related data and suggest improvements in the same, and to organise research studies in the field of price policy.

10. To advise on any problems relating to agricultural prices and production that may be referred to it by Government from time to time.

The Commission will maintain close touch with other agencies dealing with matters having a bearing on prices and production, including the Food Corporation of India, the Cotton Corporation of India and the Jute Corporation of India.

The Commission will determine its own procedures. It will be free to call for notes, memoranda, results of studies, data and any other material relevant, to its work from official and non-official bodies, and hold discussions with them.

The Commission will submit reports to Government as and when necessary in respect of different commodities or groups thereof.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India, all the State Governments and Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Prime Minister's Office, Comptroller and Auditor General of India and all Attached and Subordinate Offices under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. S. SWAMINATHAN, Secy.

New Delhi, the 23rd February 1980

No. 8-3/73-Fy.(T.I.).—In pursuance of the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture & Cooperation), Resolution No. 26011/1/77-Fy.(T.I.), dated the 24th July, 1978, the President is pleased to nominate Shri B. S. Vishwanathan, President, National Cooperative Union of India, New Delhi as Member of the Central Board of Fisheries to represent Fisheries Cooperatives.

The tenure of the appointment to the Central Board of Fisheries is for a period of three years from the date of issue of this notification.

R. K. SAXENA, Jt. Secy.

MINISTRY OF ENERGY AND IRRIGATION

(DEPARTMENT OF IRRIGATION)

New Delhi, the 1st March 1980

RESOLUTION

No. 19/5/77-DW.II/P.III.—In the Agreement on Bansagar Project on the Sone River amongst the States of Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh reached in September 1973 it was decided that as the hydrology of the river Sone and its tributaries was not well established, the Government of India might set up a special River Commission for study of the Sone river and draw up a comprehensive plan for the region taking into account any readjustments in the use of waters considered necessary by the States. Based on this study, further planning of irrigation and other benefits to the region will be undertaken after discussions and agreements

amongst the States. Accordingly, the Government of India have, in consultation with the States of Bihar, Madhya Pradesh and U.P., decided to constitute the Sone River Commission with the following composition :

CHAIRMAN

1. Chairman,
Ganga Flood Control Commission,
Patna.

MEMBERS

2. Chairman,
Central Ground Water Board, or
his nominee.

3. One representative each from the States of Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.

4. Chief Engineer,
Central Flood Forecasting Organisation,
CWC.

5. Representative from the India Meteorological Department.

6. Representative from the Geological Survey of India.

7. Representative from the Central Electricity Authority.

8. Agriculture Economist.

MEMBER-SECRETARY

9. Chief Engineer,
Sone River Commission.

Except the Member-Secretary, who will be full-time, the Chairman and all other Members will work on part-time basis.

The Commission will have its headquarters at Patna, Bihar and shall meet at least twice a year. The Chairman may co-opt any expert/experts, if necessary, during the deliberations of the Commission.

4. The functions of the Commission would be as follows :

(i) To compile and analyse the hydrological and hydro-meteorological data of the Sone river and its tributaries including assessment of the yield of different dependabilities at various points.

(ii) To collect and compile all data relating to existing uses of Sone waters in the three States including data relating to agronomic, geological and socio-economic aspects.

(iii) To collect and compile data in respect of projects under construction, those under consideration and under investigation including studies made by the State Government about the future water development.

(iv) To undertake supplementary investigations and studies as necessary for preparing basin and regional plans for the development of water and land resources, giving due consideration to alternative proposals that may be made by the State Governments based on adequate data and studies.

(v) To prepare and present a comprehensive basin and regional plan for the optimum use of the Sone waters for irrigation and other multi-purpose uses taking into consideration possible use of Ganga water by lift.

5. The Commission will be assisted by necessary support staff in the discharge of its functions indicated above. The Commission will submit periodical reports on its activities once every quarter to the Department of Irrigation. The Commission will complete its work in a period of 7 years.

6. The expenditure on the Commission will be borne by the Government of India.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to the State Governments of Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office, the Comptroller and Auditor General of India, the Planning Commission and all Ministries/Departments of the Central Government for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazete of India and that the State Governments of Bihar, U.P. and Madhya Pradesh be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

C. C. PATEL, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1980